राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक 61(549) SSAAT / सा.अंके. निर्देश / 2026–27 / 4661 दिनांक 17/03/2026

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(महात्मा गांधी नरेगा योजना)
समस्त राजस्थान

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में से शेष रही ग्राम पंचायतों का एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 की (द्वितीय छः माही) तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 की (प्रथम छः माही) का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो की अनुपालना में सोसायटी द्वारा आयोजित आवासीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित प्रतिभागियों एवं जिला स्तर पर चयनित नवीन ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों से ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा, प्रधानमन्त्री कृषि सिचाई योजना, 2.0 भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजना, विशेष योग्यजन स्व–रोजगार योजना, 15 वां वित्त आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत (पेन्शन) योजना एवं आगे जुडने वाली नई योजनाओ के समस्त कार्यो एवं व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यो का संलग्न कलैण्डर अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में से शेष रही ग्राम पंचायतों का एवं वर्ष 2025–26 की द्वितीय छः माही का तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रथम छः माही की 11214 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण माह अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण निम्नानुसार सम्पादित किया जाना प्रस्तावित हैः–

1. सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की समय सारिणीः–

(i) वित्तीय वर्ष 2025–26 की ;प्रथम छः माहीद्ध की अंकेक्षण से लगभग 3500 शेष रही ग्राम पंचायतों का एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 (द्वितीय छः माही) के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रमः–

क.सं.	सामाजिक अंकेक्षण दिनांक	सामाजिक अंकेक्षण दिवस	जिलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम सभा की दिनांक
1	07.04.2026 से 12.04.2026	6	33	750	13.04.2026
2	16.04.2026 से 21.04.2026	6	33	750	22.04.2026
3	24.04.2026 से 29.04.2026	6	33	750	30.04.2026
4	05.05.2026 से 10.05.2026	6	33	750	11.05.2026
5	15.05.2026 से 20.05.2026	6	33	750	21.05.2026
6	23.05.2026 से 28.05.2026	6	33	750	29.05.2026
7	02.06.2026 से 07.06.2026	6	33	750	08.06.2026
8	10.06.2026 से 15.06.2026	6	33	750	16.06.202[illegible]

Signature valid
Digitally signed by Sreya Guha
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21028512

9	19.06.2026 से 24.06.2026	6	33	750	25.06.2026
10	01.07.2026 से 06.07.2026	6	33	750	07.07.2026
11	10.07.2026 से 15.07.2026	6	33	750	16.07.2026
12	20.07.2026 से 25.07.2026	6	33	750	27.07.2026
13	03.08.2026 से 08.08.2026	6	33	750	10.08.2026
14	12.08.2026 से 17.08.2026	6	33	750	18.08.2026
15	19.08.2026 से 24.08.2026	6	33	750	25.08.2026
16	31.08.2026 से 05.09.2026	6	33	750	07.09.2026
17	10.09.2026 से 15.09.2026	6	33	750	16.09.2026
18	22.09.2026 से 27.09.2026	6	33	750	28.09.2026
	कुल योग				

(ii) वित्तीय वर्ष 2026–27 की (प्रथम छः माही) के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कार्यकम

क.सं.	सामाजिक अंकेक्षण दिनांक	सामाजिक अंकेक्षण दिवस	जिलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम सभा की दिनांक
1	05.10.2026 से 10.10.2026	6	33	750	12.10.2026
2	13.10.2026 से 18.10.2026	6	33	750	21.10.2026
3	23.10.2026 से 28.10.2026	6	33	750	30.10.2026
4.	02.11.2026 से 07.11.2026	6	33	750	10.11.2026
5	13.11.2026 से 18.11.2026	6	33	750	19.11.2026
6	23.11.2026 से 28.11.2026	6	33	750	30.11.2026
7	07.12.2026 से 12.12.2026	6	33	750	14.12.2026
8	16.12.2026 से 21.12.2026	6	33	750	22.12.2026
9	24.12.2026 से 29.12.2026	6	33	750	30.12.2026
10	04.01.2027 से 09.01.2027	6	33	750	11.01.2027
11	13.01.2027 से 18.01.2027	6	33	750	19.01.2027
12	20.01.2027 से 25.01.2027	6	33	750	26.01.2027
13	01.02.2027 से 06.02.2027	6	33	750	08.02.2027
14	10.02.2027 से 15.02.2027	6	33	750	16.02.2027
15	19.02.2027 से 24.02.2027	6	33	750	25.02.2027
16	01.03.2027 से 06.03.2027	6	33	750	08.03.2027
17	09.03.2027 से 14.03.2027	6	33	750	15.03.2027
18	24.03.2027 से 29.03.2027	6	33	750	30.03.2027
	कुल योग				

2. <u>**कलैण्डर**</u> :– राज्य के जिलों की चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की अंकेक्षण से शेष रही ग्राम पंचायतों का तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय छः माही और वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रथम छः माही का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम एवं ग्राम सभा का आयोजन उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक को करवाया जाना है।

यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियॉ वश माह के दौरान किसी ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण नहीं हो पाता है तो संबंधित कार्यक्रम अधिकारी इसकी सूचना समय पूर्व मय कारण स्पष्ट करते हुए निदेशक (SSAAT) को शीघ्र प्रेषित करेगें, ताकि उस ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण आगामी माह के सामाजिक अंकेक्षण के साथ करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। **संबंधित [illegible] अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी** यह सुनिश्चित करेगें कि सामाजिक अंकेक्षण [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Sreya Guha
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21028512

सम्बन्धित रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध करायेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि उनके क्षेत्र की कोई ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण से वंचित नहीं रहे।

3. <u>सामाजिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दलों का चयन व गठनः–</u> महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के अनुसार एवं सोसायटी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण दल में एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति तथा न्यूनतम 2 और अधिकतम 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति होंगे। वर्तमान में अनेक जिलों में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 के सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी द्वारा प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति जो नरेगा सॉफ्ट पर Empanelled है, द्वारा ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नियोजित किये जायेगें। सोसायटी द्वारा जारी सामाजिक अंकेक्षण कैलेण्डर में जाँच दल प्रभारी (ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) एवं अन्य ग्राम संसाधन व्यक्तियों का नाम अंकित किया जायेगा। **संसाधन व्यक्ति उस ग्राम पंचायत के व्यक्ति नहीं होगें, जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जावेगा।**

4. <u>सामाजिक अंकेक्षण दल को ग्राम पंचायत एवं लाईन विभागों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना</u> :– बिन्दु सं0 1 में उल्लिखित अवधि में ग्राम पंचायत एवं लाईन विभागों सहित अन्य कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा कराए गए समस्त कार्यों से संबंधित कार्यवार पत्रावलियां, सूचनाएं एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, बिल–वाउचर्स,मस्टर रोल्स,माप पुस्तिकाएं (MBs), लेखा पुस्तकें,स्टॉक रजिस्टर्स, परिसम्पति रजिस्टर, जॉब कार्डस, नरेगा रजिस्टर्स सं. 1 से 7, निविदा पत्रावलियाँ आदि एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों से संबंधित समस्त सूचनाएँ नियमानुसार कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा **सामाजिक अंकेक्षण दल को ग्राम सभा आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना. सुनिश्चित करें। 15 दिवस पूर्व समस्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने के लिए कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।** समस्त ग्राम विकास अधिकारी तथा कनिष्ठ सहायक संबंधित पंचायत में क्रियान्वित हो रहे समस्त कार्य से संबंधित समस्त अभिलेख सामाजिक अंकेक्षण दल को पर्याप्त संख्या में सत्यापित प्रतियों में उलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। **जिस भी कार्मिक द्वारा अभिलेख अथवा सत्यापित प्रतिलिपियाँ निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, उसे कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।** आवश्यक होने पर ऐसे दोषी व्यक्ति को निलम्बित करके अन्य कार्मिक को दायित्व दिया जावेगा परन्तु **विकास अधिकारी समस्त रिकार्ड सामाजिक अंकेक्षण दलों को अनिवार्य रूप से 15 दिवस पूर्व बिन्दु संख्या 1 में अंकित दिनांक तक दिलवाना सुनिश्चित करेंगे।** रिकार्ड ग्राम पंचायत के संरपच एवं ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में ही प्राप्त किया जावें।

किसी विशेष परिस्थिति के कारण ऑफ लाइन रिकार्ड उपलब्ध न कराये जाने पर विकास अधिकारियो द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल के प्रभारी अधिकारी को नरेगा की वेबसाइट www.NREGA.NIC.IN से ऑन लाइन रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित किया जाए । रिकार्ड उपलब्ध कराने की सूचना सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर, के कन्ट्रोल रूम को आवश्यक रूप से दी जावें।

रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत का विशेष सामाजिक अंकेक्षण राज्यस्तरीय दल द्वारा कराया जायेगा।

5. <u>सामाजिक अंकेक्षण दलों को तकनीकी सहायताः–</u> **जनलेखा समिति** की सिफारिशों की अनुपालना में **सामाजिक अंकेक्षण दलों के साथ अंकेक्षण के समय तकनीकी सहयोग/मार्गदर्शन हेतु नजदीकी पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को लगाया जावें** तथा उन्हें निर्देशित किया जावे की वे सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ सामन्जस्य स्थापित कर सामाजिक अंकेक्षण कार्य को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करावें।

6. <u>सामाजिक अंकेक्षण</u> दल <u>द्वारा रिकॉर्ड की जाँच एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करना</u> :– सामाजिक अंकेक्षण समिति में **अधिकतम 6 सदस्य होंगे तथा न्यूनतम तीन सदस्य होंगें।** जिनमें एक

RajKaj Ref No.:
21028512

Signature valid
Digitally signed by Shreya Guha
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में ग्राम संसाधन व्यक्ति सम्मिलित होंगे। जो उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र मे ग्राम पंचायत, लाईन विभागो एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा **नरेगा योजनान्तर्गत करवाए जा रहे कार्यों के समस्त रिकॉर्ड एवं पत्रावलियों की जांच की जाएगी एवं समस्त निर्माण कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड/माप पुस्तिका (एम.बी.) से मिलान कर अन्तर को रिकॉर्ड किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त वॉल पेन्टिंग्स, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, रोकड़ बही, बिल/वाउचर्स, जॉब कार्ड्स, नरेगा रजिस्टर संख्या 1 से 7 एवं निविदा पत्रावलियों की जांच तथा मजदूरी भुगतान का प्रत्येक मजदूर से (door to door) सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा मौके व रिकॉर्ड के अनुसार जांच के निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अंकेक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र 8 में तैयार की जावेगी। इस **रिपोर्ट में केवल ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर** किये जायेगे। रिपोर्ट को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जावेगी एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में इसे पढ़कर सुनाया जावेगा। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की **एक प्रति ग्राम विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव को प्रति देकर पावती प्राप्त की जावे।**

सभी अंकेक्षण दलों को पाबन्द करावें कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन यथा रिकार्ड की जांच करते हुए और मौके पर कार्यों के भौतिक सत्यापन करते हुए वहाँ उपस्थित लोगों सहित टाइम और तिथि अंकन वाली (Time Date & Stamped Photographs) फोटोग्राफ्स और सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कोई अनियमितताएं पायी जावें तो उनके साक्ष्य यथा दस्तावेज, फोटोग्राफ, ऑडियो–विडियो या अन्य सुसंगत साक्ष्य आवश्यक रूप से संकलित करावें तथा सभी दस्तावेजात, ऑडियो–वीडियो या अन्य सुसंगत साक्ष्य यथाशीघ्र/उसी दिवस को DYDIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, की E-mail पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

7. <u>सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का पंचायत निर्णय एप के माध्यम से आयोजन</u> :– भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र कमांक NO. J-11060/08/RE-III(Part-II)(390555) दिनांक 04.04.2025 के अनुसार राज्य की समस्त ग्राम पंचायतो की सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा पंचायत निर्णय से करवायी जानी अनिवार्य है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दौरान पंचायत निर्णय ऐप्प के उपयोग यथा रियल टाईम जियो टेग फोटो ग्राफ कैप्चर करने, रियल रियल टाईम जियो टेग विडियोग्राफी करने, नरेगा सॉफट पर अन्य तकनिकी विशेषताओं के विषय में विस्तृत जानकारी देने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 16.09.2025 तथा 19.09.2025 को समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को गुगल मीट से एवं दिनांक 29.09.2025 को समस्त ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को जिला स्तर पर दिया जा चुका है। पंचायत निर्णय ऐप्प से संबंधित समस्या /तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर पंचायत निर्णय ऐप्प प्रभारी श्री इकबालुदीन एवं प्रोग्रामर श्री विजय सिंह जी के फोन न. 9784823385 पर सम्पर्क कर सकते है।

प्रस्तावित सामाजिक अंकेक्षण प्रथम एवं द्वितीय चरण में पंचायत निर्णय ऐप्प माध्यम से बैठक स्थल प्रबंधन, बैठक आमंत्रण प्रबंधन, ग्राम सभा की दिनांक एवं समय प्रबंधन, बैठक पर्यवेक्षण प्रबंधन, ग्राम सभा प्रभारी आदि से सबंधित कार्य ग्राम सभा से पूर्व ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों द्वारा पंचायंत निर्णय ऐप्प में लॉगिन कर सूचना अपलोड की जानी है एवं ग्राम सभा के दिन ग्राम सभा के रियल टाईम जियो टेग फोटो ग्राफ, विडियो, उपस्थिति, ऐजेन्डे, कार्यवाही विवरण आदि की फोटो एवं विडियो बनाकर पंचायत निर्णय ऐप्प से अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य के लिए अंकेक्षण दल को पूर्ण सहयोग ग्राम पंचायत के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के आयोजन ग्राम पंचायत भवन या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित किसी ऐसे खुले पर्याप्त स्थान उपलब्धता वाले सार्वजनिक स्थान पर किया जाए जहाँ ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान हो। ग्राम सभा आयोजन स्थल पर सदस्यों के लिए माईक टेंट ,छाया ,पीने के पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। **ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की जावे। ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा तैयार की गई सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट एवं जांच के निष्कर्ष सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा पढ़कर सुनाए जाएंगे।** ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी

Signature Valid
Digitally signed by Sreya Guha
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21028512

रोजगार सहायक/प्रभारी अधिकारी/कार्यवाही लिखने वाले उत्तरदायी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर ग्राम सभा सदस्यों की प्रतिकिया, शिकायतें एवं आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए अनुमोदिन नवीन संशोधित **निर्धारित प्रपत्र संख्या 9** एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा रजिस्ट्रर में ग्राम सभा कार्रवाई विवरण अभिलिखित किया जावे तथा उस पर ग्राम सभा में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों (नागरिकों एवं उपस्थित अधिकारी, कर्मचारीगण) के हस्ताक्षर करवाए जावें। ग्राम सभा में पिछले वर्ष की सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट भी पेश की जाकर उसमें उठायी गयी आपत्ति को पढकर सुनाया जायेगा। गत वर्ष की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के बिन्दुओं की अनुपालना पर चर्चा की जायेगी।

8. **<u>ग्राम सभा में कोरम की पूर्ति</u>:— जनलेखा समिति की सिफारिश के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा —8 (ख) के अनुसार ग्राम सभा में गणपूर्ति (Quorum) ग्राम सभा सदस्यों (मतदाताओं) की कुल संख्या 1/10 होगी। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में कोरम पूरा नही होने की स्थिति में स्थगित कर आगामी 03 दिवस में व्यापक प्रचार प्रसार कर ग्राम सभा का पुनः आयोजन किया जावें। इसकी सूचना SSAAT मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायें।**

9. **<u>ग्राम सभा की विडियों रिकार्डिग</u> :— जनलेखा समिति की सिफारिश की अनुपालना में प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की विडियों ग्राफी अनिवार्य रूप से करवायी जाये तथा विडियों रिकार्डिग व ग्राम सभा के फोटो सॉफ्ट/हार्ड कॉपी में पंचायत समिति कार्यालय में सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त प्रपत्रों, जुटाएं गए साक्ष्यों के साथ पंचायत निर्णय एप के माध्यम से नरेगा साफॅट पर अपलोड किया जावें एवं अन्य भौतिक दस्तावेजों के साथ जिला परिषद या जिला कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षित रखी जावें।**

10. **<u>सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का प्रचार—प्रसार</u>** :— सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के कलैण्डर जारी होने के बाद ग्राम सभा का परम्परागत एवं आधुनिक तरीकों से— यथा यूट्यूब विडियोज, व्हाट्स ऐप ग्रुपों से, ई—मैल/एसएमएस भिजवाकर एवं जिला परिषद् स्तर पर पैम्पलेट छपवा कर ग्राम सभा आयोजन का पर्याप्त प्रचार—प्रसार करना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर ग्राम सभा की सूचना विधिवत रूप से जारी कर डिस्पेच नम्बर के साथ चस्पा किया जावें।

11. **<u>ग्राम सभा की कार्यवाही के निरीक्षण हेतु पर्यवेक्षक /प्रभारी अधिकारी की नियुक्तिः</u> —** प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की कार्यवाही के निरीक्षण हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर के राजपत्रित अधिकारी को पर्यवेक्षक तथा ब्लॉक स्तर के राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जावें तथा उन्हें सामाजिक अंकेक्षण संबंधी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की प्रतियां पूर्व में ही उपलब्ध कराकर सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जावे। पर्यवेक्षक/ प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति की सूचना SSAAT मुख्यालय की ईमेल आईडी पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ही पर्यवेक्षक/प्रभारी अधिकारी नवीन निर्धारित प्रपत्र संख्या 8,9,10,11 में उल्लिखित बिन्दुओं की पूर्ण मॉनिटरिंग करेगें।

महालेखाकार राजस्थान कार्यालय द्वारा भी अपेक्षित है कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु स्वत्रंत पर्यवेक्षक नियुक्त कर उनकी सूचना निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

12. **<u>दीवार लेखन की कार्यवाहीः—</u>** महात्मा गांधी नरेगा योजना,, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग के विगत वित्तीय वर्षों की (प्रथम छः माही व द्वितीय छः माही) हुए कार्यो में पारदर्शिता के तहत आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु दीवार लेखन (Wall Painting) का कार्य करवाने हेतु शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक 61(64) SSAAT/कलैण्डर/2020—21/8117 दिनांक 01.06.2022 एवं समसंख्यक आदेश कमांक 70

RajKaj Ref No.:
21028512

Signature valid
Digitally signed by Sreya Guha
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

दिनांक 29.07.2022 में दिये गये दिशा निर्देशो की पालना **निर्धारित** प्रारूप में दीवार लेखन हेतु निर्धारित दिनांक तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

13. **सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अपलोड करना :–** नियमित सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् सम्बन्धित जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा आगामी सात दिवस में आवश्यक रूप से **नरेगा सॉफ्ट पर स्वंय की आईडी से अपलोड किया जायेगा**। सात दिवस में अपलोड नही होने वाली ग्राम पंचायतों का विवरण कारण सहित मुख्यालय को सम्बन्धित जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रेषित किया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट को अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा एवं राज्य संसाधन व्यक्ति से सहयोग तथा तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो सोसायटी के प्रोग्रामर श्री विजय सिंह जी के फोन न. 9784823385 पर सम्पर्क कर सकते है। अपलोड की सूचना को सोसायटी (SSAAT) को अविलम्ब प्रेषित किया जावें।
14. MGNREGA, PMAY-G, MoSJE योजनाओं के अलावा अन्य अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित योजनायें जिनका सोशल ऑडिट रिपोर्ट का MIS विभाग से उपलब्ध नहीं है उनके अंकेक्षण उपरांत रिपोर्ट SSAAT द्वारा बनाये जा रहे MIS पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा MIS पोर्टल की सूचना योजना के अंकेक्षण प्रारंभ कराने से पूर्व योजना प्रभारी द्वारा सभी जिलों और सम्बन्धित विभाग के साथ साझा की जाएगी द्य अंकेक्षण रिपोर्ट की सूचना जिले वार योजना प्रभारी द्वारा संकलित कर सुरक्षित रूप से सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में रखा जायेगा द्य
15. सामाजिक अंकेक्षण दल को सामाजिक अंकेक्षण के दौरान **वित्तीय अनियमितता** पाये जाने पर अंकेक्षण रिपोर्ट के निर्धारित प्रपत्र 8 में जॉब कार्ड नम्बर, वर्क कोड़, मस्टर रोल नम्बर व कार्य का नाम आदि सूचनाओं का उल्लेख आवश्यक रूप से उपयुक्त साक्ष्यों के साथ सामाजिक अंकेक्षण की सारांश टिप्पणी में उल्लेखित करें।
16. सामाजिक अंकेक्षण जाँच दल के प्रभारी, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर, खाता संख्या, बैंक एवं ब्रांच का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड व मोबाईल नम्बर की सूचना कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी एवं जिला संसाधन व्यक्ति को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।
17. सामाजिक अंकेक्षण जाँच दल को पंचायत भवन या सार्वजनिक भवन में ठहराना आवश्यक है। ठहराने की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जावेंगी।
18. **सामाजिक अंकेक्षण दल (ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों) को मानदेय भुगतान** :– ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों से दैनिक जॉब कार्य के आधार पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण दल के ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों को पारिश्रमिक का भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा :–

(i) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को रू. 550/– प्रति दिवस प्रति व्यक्ति
(ii) ग्राम संसाधन व्यक्तियों (जो उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है) को रू. 330/– प्रति दिवस प्रति व्यक्ति

नियमित सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स नरेगा सॉफ्ट (Nrega Soft) में अपलोड होने के उपरान्त ही मानदेय भुगतान किया जावेगा। नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड रिपोर्ट में दर्ज संसाधन व्यक्तियों को ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा। बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना किसी औचित्य पूर्ण कारण के अनुपस्थित रहने वाले / अंकेक्षण निरस्त करने वाले तथा कार्य में लापरवाही और विभागीय आदेशों का पालन नही करने पर बीआरपी/वीआरपी को ब्लेक लिस्ट किया जायेगा।

संसाधन व्यक्तियों (01 ब्लॉक तथा न्यूनतम 02 अधिकतम पांच ग्राम संसाधन व्यक्ति[illegible] नरेगा योजना की सामाजिक अंकेक्षण अवधि 05 दिवस ग्राम सभा दिवस [illegible]

RajKaj Ref No.:
21028512

Signature valid
Digitally signed by Sreya Guha
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

का भुगतान प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर (SSAAT) द्वारा किया जावेगा। अंकेक्षण मे नियोजित संसाधन व्यक्तियों की प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान की अनुशंसा सम्बंधित जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा नरेगा सॉफट पर रिपोर्ट अपलोड करने के उपरान्त मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी गलत भुगतान की अनुशंसा करने पर संबंधित जिला संसाधन व्यक्ति व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा।

19. **<u>ग्राम सभा कार्यवाही लिखने के संबंध में:–</u>** ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक/कार्यवाही लिखने हेतु उत्तरदायी समस्त कार्मिकों को भी सख्ती से पाबंद किया जावे कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में चर्चा के दौरान यदि कम भुगतान, देरी से भुगतान होना, कार्यो पर मस्टर रोल में गलत मजदूरों का नाम दर्ज होना, मशीनों का उपयोग होना, जॉब कार्ड संबंधी अनियमितता, कार्य की गुणवत्ता अथवा अन्य कोई शिकायत/आपत्ति उठाई जाए तो उसको आवश्यक रूप से कार्यवाही विवरण में रिकॉर्ड करें तथा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दिन ही निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर सामाजिक अंकेक्षण प्रभारी अधिकारी को प्रदान कर रसीद प्राप्त करें। संबंधित अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण दल की रिपोर्ट अनुमोदित नवीन संशोधित प्रपत्र सं 8, ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अभिलिखित कार्यवाही विवरण नवीन संशोधित प्रपत्र सं.9 और प्रभारी अधिकारी अपनी रिपोर्ट्स नवीन प्रपत्र सं. 10 नवीन प्रपत्र सं. 11 एवं 15 वे वित्त आयोग के कार्यो की सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट उसके लिए निर्धारित प्रपत्र में अपलोड पश्चात् (निर्धारित प्रपत्रों) को ग्राम सभा आयोजन के अगले दिवस जिला कलेक्टर कार्यालय एवं निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय जयपुर को ई–मेल आई.डी. Dir.socialaudit@rajasthan.gov.in पर भेजेंगे।

20. दस्तावेजों की एक प्रति भौतिक रूप से एवं डिजिटल रूप से निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) कार्यालय में सुरक्षित रखा जावेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिले के राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP) एवं प्रोग्रामर यह कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

    जो सूचनाएं प्रपत्र–8,9,10,11 में संबंधित जिला प्रभारी अधिकारीगण से प्राप्त होगी संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय द्वारा प्रोग्रामर (SSAAT) तथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं मुख्यलेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) के दिशा निर्देशन में सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की Website - https://www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य समापन के अधिकतम 7 दिवस में अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

21. **<u>सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टस की अनुपालना</u> :– सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की बिन्दुवार पालना कर अनुपालना रिपोर्ट अधिकतम एक माह में ग्राम पंचायत वार, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टवार विकास अधिकारी पंचायत समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला** परिषद से प्रमाणित होकर आवश्यक रूप से निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को प्रस्तुत की जाए और प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना नरेगा साफ्ट (Nrega Soft) पर भी अपलोड करवायी जावेगी। सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका 2012 के अध्याय 10 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानुसार सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

22. **<u>जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना–</u>** सामाजिक अंकेक्षण के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला स्तर पर शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ61(64) ग्रावि/सा.अकें/9259 दिनांक 17.08.2022 की पालना में कंट्रोल रूम की स्थापना सम्बन्धित माह की आडिट दिनांक से 7 दिवस पूर्व से ग्राम सभा आयोजन दिनांक तक सुनिश्चित करावें। जिसकी सूचना सोसायटी (SSAAT) के कन्ट्रोल रूम को दी जाए।

Signature valid

Digitally signed by Sreya Guha
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21028512

23. सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका 2012 में अंकित प्रपत्र संख्या 8,9,10,11 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन संशोधित प्रपत्रों को अनुमोदित किया जा चुका है। अतः नवीन संशोधित प्रपत्रों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1.	ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा तैयार किये जाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-8
2.	सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण- ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-9
3.	सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा के पर्यवेक्षक / प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट मय सांराश रिपोर्ट	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-10
4.	सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया जाने वाला प्रपत्र	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-11

24. **<u>कानून व्यवस्था बाबत:-</u>** सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कई बार अंकेक्षण दल को डराने-धमकाने या अनुचित व्यवहार करनें की शिकायत आती है। अतः सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम अनुसार कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर संम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक के पास भेजते हुए आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण के दौरान समुचित सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने तथा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में अनिवार्यतः पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जिला कलेक्टर्स से अपेक्षित है।

25. ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में गंभीर प्रकृति के आक्षेप प्राप्त होने पर मनरेगा, आयुक्त ऐसी ग्राम पंचायतों के कार्यो का विशेष जांच करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करावें।

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

RajKaj Ref No.:
21028512

Signature valid
Digitally signed by Shreya Guha
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

क्रमांक 61(549) SSAAT / सा.अंके. निर्देश / 2026–27 दिनांक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय केबिनेट मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय,ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान,जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वंतत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
8. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन / PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
9. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्यलेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष (प्रशासन), सहायक लेखाधिकारी (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
11. सामाजिक विकास विशेषज्ञ / राज्य संसाधन व्यक्ति समस्त, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)को पालनार्थ।
12. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, को भेजकर अनुरोध है कि आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण के दौरान समुचित सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जायें। साथ ही ग्राम सभा के आयोजन की दिनांक को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुलिस व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् संबंधित को पालनार्थ।
14. परियोजना अधिकारी (लेखा), समस्त जिला परिषद, राजस्थान।
15. नरेगा लोकपाल, समस्त जिला परिषद, राजस्थान।
16. जिला संसाधन व्यक्ति समस्त जिला परिषद, राजस्थान।
17. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, संबंधित को पालनार्थ।
18. प्रोग्रामर, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कलैण्डर्स, रिपोर्ट्स, अनुपालना (ATRs) रिपोर्ट्स एवं मानदेय भुगतान की स्थिति नियमित रूप से नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड होना सुनिश्चित करावें और सोसायटी एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
19. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग।
20. डाक शाखा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र को डिस्पेच कर संबन्धित को डाक / मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें ।
21. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही

एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

Signature valid

Digitally signed by Sreya Guha
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.03.16 18:27:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21028512